भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. **1264**
27.07.2026 को उत्तर के लए

वन आवरण की गुणवत्ता का मूल्यांकन

1264. श्री जय प्रकाशः
श्री वरुण चौधरीः

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क **:**

(क) क्या भारत वन स्थिति रिपोर्ट की सटीकता में सुधार के लए भारतीय वन सर्वेक्षण को बेहतर सैटेलाइट रेजोल्यूशन तक पहुंच प्रदान करने का कोई प्रस्ताव वचाराधीन है और यदि हाँ, तो यह कस समय-सीमा तक सुलभ हो जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सू चत कए गए क्षेत्र के अतिरिक्त, वनों के घनत्व और जैव व वधता सहित वन आवरण की गुणवत्ता का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन कया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पछले तीन वर्षों के दौरान गैर-वन कार्यों के उपयोग हेतु काम में ली गई वन भू म का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार और क्षेत्रक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वगत पांच वर्षों के दौरान गैर-वन कार्यों के उपयोग हेतु काम में ली गई संपूर्ण वन भू म के बदले प्रतिपूरक वनीकरण कया गया है और यदि हाँ, तो चह्नित की गई भू म, कए गए वृक्षारोपण और पौधों के जी वत रहने की दर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, देश के वन एवं वृक्ष आवरण का द् ववा र्षक तौर पर आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रका शत कए जाते

हैं। वन आवरण का आकलन बहु-का लक उपग्रह आँकड़ों की व्याख्या तथा व्यापक भू-सत्यापन के आधार पर की जाने वाली समग्र मान चत्रण प्र क्रया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण समय-समय पर वन आवरण मान चत्रण की सटीकता एवं वश्वसनीयता में सुधार के लए तकनीकी तथा कार्यप्रणालीगत प्रगतियों को अपनाता है। वगत वर्षों में इन प्रगतियों में उन्नत उपग्रह आँकड़ों का उपयोग, उच्च स्तर पर मान चत्रण तथा छ व व्याख्या तकनीकों का परिष्करण शा मल रहा है, जब क समय के साथ कए जाने वाले आकलनों की स्थिरता तथा तुलनीयता भी सुनिश्चित की जाती रही है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट वन आवरण के वस्तार के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता का भी आकलन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट वन आवरण को कैनोपी घनत्व के आधार पर बहुत घने वन (70% और उससे अ धक कैनोपी घनत्व), मध्यम घने वन (40% से 70% से कम कैनोपी घनत्व) और खुले वन (10% से 40% से कम कैनोपी घनत्व) में वर्गीकृत करता है।

(ग) पछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत अपवर्तन के लए अनुमोदित वन भू म का ववरण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और सेक्टर-वार, क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम, 1980 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुपालन में संबं धत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण कया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वगत पाँच वर्षों के दौरान 1,78,261.52 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण कया गया है। इन वृक्षारोपणों की उत्तरजी वता दर 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच बताया गया है।

अनुलग्नक I

'वन आवरण की गुणवत्ता का मूल्यांकन' के संबंध में दिनांक 27.07.2027 को उत्तर के लए श्री जय प्रकाश और श्री वरूण चौधरी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या 1264 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक

दिनांक **01.04.2023** से **31.03.2026** की अव ध के दौरान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम**, 1980** के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लए अपवर्तन हेतु स्वीकृत वन भू म का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ववरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.79
2	आंध्र प्रदेश	850.37
3	अरुणाचल प्रदेश	7,334.87
4	असम	601.51
5	बिहार	27.99
6	चंडीगढ़	0.24
7	छत्तीसगढ	4,218.95
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	70.34
9	दिल्ली	108.30
10	गोवा	50.48
11	गुजरात	2,501.43
12	हरियाणा	546.87
13	हिमाचल प्रदेश	1,510.03
14	जम्मू और कश्मीर	729.14
15	झारखंड	5,409.56
16	कर्नाटक	911.95
17	केरल	62.42
18	लद्दाख	0.94
19	मध्य प्रदेश	19,432.14
20	महाराष्ट्र	3,531.59
21	म णपुर	1,617.26
22	मेघालय	62.44

23	मजोरम	665.71
24	नागालैंड	3.93
25	ओ डशा	8,965.71
26	पंजाब	677.28
27	राजस्थान	3,553.67
28	सक्किम	866.64
29	त मलनाडु	60.32
30	तेलंगाना	1,853.29
31	त्रिपुरा	257.80
32	उत्तर प्रदेश	3,390.87
33	उत्तराखंड	989.64
34	पश्चिम बंगाल	154.81
कुल		**71,023.30**

अनुलग्नक II

'वन आवरण की गुणवत्ता का मूल्यांकन' के संबंध में दिनांक 27.07.2027 को उत्तर के लए श्री जय प्रकाश और श्री वरूण चौधरी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या 1264 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक

दिनांक **01.04.2023** से **31.03.2026** की अव ध के दौरान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम**, 1980** के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लए अपवर्तन हेतु स्वीकृत वन भू म का सेक्टर/श्रेणी-वार ववरण

क्र. सं.	श्रेणी/क्षेत्र	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	एयरपोर्ट	0.09
2	नहर	115.02
3	संचार पोस्ट	20.08
4	रक्षा	6,276.01
5	औषधालय/अस्पताल	17.91
6	पेय जल	999.74
7	अन्वेषण और सर्वेक्षण	0.00
8	वन ग्राम रूपांतरण	514.64
9	जल वद्युत/ संचाई	14,294.41
10	उद्योग	110.40
11	खनन/उत्खनन	16,463.28
12	खनिज तेल का खनन	11.25
13	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	7.17
14	ऑप्टिकल फाइबर केबल/दूरसंचार लाइनें	232.00
15	अन्य/जल/वर्षा जल संचयन संरचना	2,007.56
16	पेट्रोल पंप	1,999.55
17	पाइपलाइन	498.44
18	पु लस एवं सुरक्षा संबंधी प्रतिष्ठान	4.13
19	वद्युत पारेषण लाइन/ग्रामीण बिजली	7,711.55
20	रेलवे	3,887.71
21	पुनर्वास	2,805.92
22	सड़क	12,714.93
23	स्कूल/शैक्ष णक संस्थान	213.93
24	थर्मल पावर	41.66
25	बीआरओ द्वारा मौजूदा पुल का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई	0.20
26	पवन ऊर्जा/सौर ऊर्जा/ वद्युत उप-स्टेशन	75.72
कुल		**71,023.30**